Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 36-2018/Ext.] CHANDIGARH, SUNDAY, MARCH 4, 2018 (PHALGUNA 13, 1939 SAKA)

HARYANA VIDHAN SABHA

Notification

The 4th March, 2018

No. 01-HLA of 2018/2.— The Haryana Clinical Establishments (Registration and Regulation Adoption Bill, 2018), is hereby published for general information under proviso to Rule 128 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly :-

Bill No. 01- HLA of 2018

THE HARYANA CLINICAL ESTABLISHMENTS (REGISTRATION AND REGULATION) ADOPTION BILL, 2018

A

BILL

to adopt the Clinical Establishments (Registration and Regulation) Act, 2010, in the State of Haryana.

BE it enacted by the Legislature of the State of Haryana in the Sixty-ninth Year of the Republic of India as follows:-

Short title, application and commencement.

1. (1) This Act may be called the Haryana Clinical Establishments (Registration and Regulation) Adoption Act, 2018.

(2) It shall apply to all clinical establishments having more than fifty beds.

(3) It shall be deemed to have come into force with effect from the 25th January, 2018.

Adoption of Central Act 23 of 2010.

2. The State Government hereby adopts the Clinical Establishments (Registration and Regulation) Act, 2010 (Central Act 23 of 2010).

Repeal and saving.

3. (1) The Haryana Clinical Establishments (Registration and Regulation) Adoption Ordinance, 2018 (Haryana Ordinance No.1 of 2018), is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the said Ordinance shall be deemed to have been done or taken under this Act.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Providing quality Health Care is a mandate of Article 47 of the Constitution. Therefore, there is a need of an Act to prescribe minimum standards of facilities and to prescribe for the Registration and Regulation of Clinical Establishments in the State of Haryana and for matters connected therewith or incidental thereto.

All over India, 16 States/ UTs have already adopted the Clinical Establishments (Registration and Regulation) Act, 2010 enacted by the Parliament of India on 19th August, 2010.

Hence, this bill.

ANIL VIJ,
Health Minister, Haryana.

Chandigarh:
The 4th March, 2018.

R. K. NANDAL,
Secretary.

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

The Clinical Establishments (Registration and Regulation) Act, 2010, enacted by the Parliament of India on 19th August, 2010 empowers both the Central and State Government to make Rules. Section 52 empowers the Central Government to make rules and Section 54 empowers State Government to make rules for carrying out in respect of matters which do not fall within the purview of section 52.

[प्राधिकृत अनुवाद]

2018 का विधेयक संख्या 1-एच०एल०ए०

हरियाणा नैदानिक स्थापन (रजिस्ट्रीकरण और विनियमन) अंगीकरण विधेयक, 2018
हरियाणा राज्य में नैदानिक स्थापन (रजिस्ट्रीकरण और विनियमन) अधिनियम, 2010 को अंगीकृत करने के लिए
विधेयक

भारत गणराज्य के उनहत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम, लागूकरण तथा प्रारम्भ।

1. (1) यह अधिनियम हरियाणा नैदानिक स्थापन (रजिस्ट्रीकरण और विनियमन) अंगीकरण अधिनियम, 2018, कहा जा सकता है।

(2) यह पचास बिस्तर से अधिक वाली सभी नैदानिक स्थापनों को लागू होगा।

(3) यह 25 जनवरी, 2018 से लागू हुआ समझा जाएगा।

2010 के केन्द्रीय अधिनियम 23 का अंगीकरण।

2. राज्य सरकार, इसके द्वारा, नैदानिक स्थापन (रजिस्ट्रीकरण और विनियमन) अधिनियम, 2010 (2010 का केन्द्रीय अधिनियम 23) को अंगीकृत करती है।

निरसन तथा व्यावृत्ति।

3. (1) हरियाणा नैदानिक स्थापना (रजिस्ट्रीकरण और विनियमन) अंगीकरण अध्यादेश, 2018 (2018 का हरियाणा अध्यादेश संख्या 1), इसके द्वारा, निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई, इस अधिनियम के अधीन की गई बात या की गई कार्रवाई समझी जाएगी।

उद्देश्यों एवं कारणों का विवरण

गुणवत्ता स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करना संविधान के अनुच्छेद 47 का जनादेश है। इसलिए सुविधाएं के न्यूनतम मानकों का निर्धारित करने और हरियाणा राज्य में (रजिस्ट्रीकरण और विनियमन) के लिए और इसके साथ जुड़ा मामलों के साथ या उसके बारे में आकस्मिक मामले को निर्धारित करने के लिए एक अधिनियम की आवश्यकता है। पूरे भारत में 16 राज्यों/संघ शासित प्रदेशों ने पहले ही 19 अगस्त, 2010 को भारत की संसद द्वारा लागू नैदानिक स्थापन (रजिस्ट्रीकरण और विनियमन) अधिनियम, 2010 अपनाया है इसलिए यह बिल लाने की आवश्यकता है।

अनिल विज,
स्वास्थ्य मंत्री, हरियाणा।

चण्डीगढ़:
दिनांक 4 मार्च, 2018.

आर० के० नांदल,
सचिव।

प्रत्यायोजित विधान बारे ज्ञापन

19 अगस्त, 2010 को भारत की संसद द्वारा अधिनियमित नैदानिक स्थापन (रजिस्ट्रीकरण एवं विनियमन), अधिनियम, 2010 दोनों केन्द्रीय और राज्य सरकार को नियम बनाने में सक्षम बनाता है। धारा 52 ने केंद्र सरकार को नियम बनाने का अधिकार दिया है और धारा 54 मामलों के संबंध में नियम बनाने के लिए राज्य सरकार को शक्ति प्रदान करता है जो धारा 52 के दायरे में नहीं आते हैं ।

56047—H.V.S.—H.G.P.,Chd.